



UPST010019162026

**न्यायालय-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03 सुलतानपुर।**

**उपस्थित: निशा सिंह, एच०जे०एस०**

(J.O. Code- UP 6321)

**जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-618/2026**

इरफान सुत रईस,  
निवासी ग्राम चटिया हसनपुर, थाना-बंधुआकला, जनपद-सुलतानपुर।

----- प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य

-----विपक्षी/अभियोगी

मुकदमा अपराध सं०-47/2026,  
धारा-3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम  
व 303,317(2) बी०एन०एस०  
थाना-बंधुआकला, जिला-सुलतानपुर।

**दिनांक-10.03.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त इरफान की ओर से यह जमानत प्रार्थना-पत्र उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उ०नि० राम प्रकाश सिंह द्वारा थाना बंधुआकला जिला सुलतानपुर में इस आशय की तहरीर दी गयी कि आज दिनांक 28.02.2026 वह मय हमराहियान थाना हाजा से रवाना होकर हल्का क्षेत्र प्रथम मे देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन मे महाजितपुर चौरा के पास मौजूद था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि हसनपुर गांव के बगल अलीगढ़ रोड पर गभडिया पुल के नीचे कुछ गोवंशीय अवशेष पड़े हैं जो दो तीन दिन पुराने लग रहे हैं। इस सूचना पर वह मय हमराहियान को साथ लेकर मुखबिर खास द्वारा बताये हुए स्थान पर पहुंचे तो देखा कि गभडिया नाले मे पुल के नीचे कुछ गोवंशीय कटे अवशेष पड़े हैं जो करीब दो तीन दिन पूर्व के लग रहे हैं। मौके पर ही जरिये दूरभाष पशु चिकित्सक को बुलाकर जांच कराया गया तो पशु चिकित्सक द्वारा कटे हुए गोवंश अवशेष की जांच करके सैम्पलिंग की गयी। दौराने जांच जनता के लोग आस पास के व ग्राम हसनपुर के निवासी विनोद प्रजापति मौके पर आ गये और गोवंश के कटे अवशेष व सिर के कान मे लगे टैग को देखकर बताया कि साहब यही उसकी गाय का है। जो दो दिन पूर्व खूंटे से खुल गयी थी जिसे वह ढूंढ रहा था। मौके पर ही गोवंशीय पशु के अवशेषों को गड्ढा मे डालकर दफन कराया गया। देखने से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोवंश को काटा गया है।
3. प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है। महज थाना उपरोक्त की पुलिस द्वारा हैरान व परेशान करने की नियत से उक्त मुकदमें में झूठा फंसाया है। प्रार्थी के मुकदमें में पुलिस

पार्टी वादी तथा पुलिस पार्टी गवाह जनता का कोई गवाह नहीं है। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रार्थी का नाम प्रकाश में लाया गया है। प्रार्थी के पास से किसी जानवर की बरामदगी नहीं है। प्रार्थी के पास से कोई बरामदगी नहीं है। प्रार्थी के मुकदमें में घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी दिनांक 01.03.2026 से जेल में है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तथा प्रार्थी को आज तक किसी भी मुकदमें में किसी भी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है। प्रार्थी का यह उपरोक्त अभियोग में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो श्रीमान् जी के न्यायालय के समक्ष और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष न तो कभी दिया गया है, न विचाराधीन है, और न ही निर्णीत हुआ है। प्रार्थी के जमानत पर रिहा होने की दशा में उसके अनुपस्थित होने अथवा अभियोजन पक्ष के साक्षीगण पर अनुचित प्रभाव डालने की कोई आशंका नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसे जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा है कि अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर गोवंशीय पशुओं की चोरी कर उन्हें काटकर उनके अवशेष गभड़िया पुल के नीचे फेंक दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने की याचना की है।

5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर गोवंशीय पशुओं की चोरी कर उन्हें काटने व उनके अवशेष गभड़िया पुल के नीचे फेंक दिये जाने का आक्षेप लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पंजीकृत है। फर्द बरामदगी के अनुसार अभियुक्त व सह-अभियुक्तगण के पास से कुल 1 अदद लकड़ी का ठीहा, 2 अदद चाकू, 1 अदद चापड़ व 1 अदद रस्सी जानवर बांधने वाली का बरामद होना अंकित है। अभियुक्त का नाम दौरान फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी प्रकाश में आया है। कथित फर्द बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त के पास से किसी भी प्रकार के गोमांस की बरामदगी नहीं हुई है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत थाने की आख्या के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त अभियुक्त का 03 अन्य आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है, किन्तु दोषसिद्ध का कोई विवरण अंकित नहीं है। अभियुक्त दिनांक 01.03.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है।

7. अतः अपराध की गम्भीरता, अपराध कारित करने में अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका तथा मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण-दोष पर टिप्पणी किये बिना आवेदक/ अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

### आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त इरफान का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 75,000/- (पिचहत्तर हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की एक स्थानीय जमानत प्रतिभू दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है कि-

- 1- अभियुक्त दौरान विचारण न्यायालय का सहयोग करेगा।
- 2- अभियुक्त गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।
- 3- अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

दिनांक-10.03.2026  
Dinesh Kumar (Steno)

(निशा सिंह)  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट संख्या-03, सुलतानपुर।  
(J.O. Code- UP 6321)